संख्या–3119 /XV-2/01(26)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
देहरादून, उत्तराखण्ड ।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 10 दिसम्बर, 2010ः

विषय– वित्तीय वर्ष 2010–11 मे मत्स्य विभाग को मत्स्य विभाग में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण योजना अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय, देहरादून के सुरक्षात्मक कार्य एवं आवासीय भवन हेतु पुनरीक्षत आगणन के सापेक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

प्रमुख सचिव (वित्त) के शासनादेश संख्या 187/XXVII (1)/2010, दिनांक 30–03–2010 के क्रम में एवं आपके पत्र सं0 761/आय–व्यय,प्रावि0लेखा–बजट–1/2010, दिनांक 06–08–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण योजना अन्तर्गत रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है। :–

(1) यमुना निर्माण खण्ड–2, सिंचाई विभाग, देहरादून के पत्रांक–कैम्प/य.नि.ख–2/मत्स्य, दिनांक 17–09–2010 द्वारा मत्स्य निदेशालय, धन्याडी, बडासी ग्रान्ट, देहरादून अनावसीय भवन में रिवर प्रोटेक्शन कार्य के रू0 54.64 लाख के प्रस्तुत आगणन का टी0ए0सी0 से परीक्षण उपरान्त औचित्य पूर्ण पाई गई धनराशि रू0 49.03 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 लाख में से कुल धनराशि रू0 49.03 लाख रिवर प्रोटेक्शन कार्यो पर व्यय किये जायेगें । (आगणन संलग्न)

(2) मत्स्य विभाग के पत्रांक–761/आय–व्यय,प्रावि0लेखा बजट–1/2010, दिनांक 06–08–2010 द्वारा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व में रू0 119.00 लाख लागत के आगणन दरों में वृद्धि होने के कारण रू0 169.17 के पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराये गये है। जिनका टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षण उपरान्त रू0 157.18 लाख औचित्य पूर्ण पाया गया । इस प्रकार भिन्नता की धनराशि रू0 38.18 लाख के सापेक्ष रू0 97.00 हजार की धनराशि व्यय की जायेगी। (आगणन संलग्न)

(3) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(5) कार्य कराने से पूर्व तकनीकी दृष्टि से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाये तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाये तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न की जाये।

(7) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

(8) उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय –00–आयोजनागत–001–निदेशक तथा प्रशासन–03–मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–254(P)/वित्त–4/2010, दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न– यथोक्त ।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 3119 /XV-2/1(28)/2005तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, पौडी गढवाल।
3. निजी सचिव–पशुपालन मंत्री, को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
5. कोषाधिकारी, , देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, यमुना निर्माण खण्ड–2,सिंचाई विभाग, यमुना कलोनी, देहरादून ।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0पंत)
अनु सचिव।